उत्तर प्रदेश शासन,

ग्राम्य विकास अनुभाग-2

संख्या-32/2016/सा0-762/38-2-2016-32बी/2013,

लखनऊ: दिनांक 20 दिसम्बर, 2016

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-33 सन् 1961) की धारा-3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना संख्या-5445/38-3-478-70, दिनांक 18 सितम्बर, 1972 का आंशिक उपान्तरण करके राज्यपाल जिला-**प्रतापगढ़** में एक नया विकास खण्ड "**मंगापुर उदयपुर**" सृजित करते हैं और इस अधिसूचना के दिनांक से नीचे अनुसूची के स्तम्भ-2 में यथा-विनिर्दिष्ट विकास खण्ड-लालगंज एवं सांगीपुर के ग्रामीण क्षेत्रों को उपान्तरित करते हैं और यह निदेश देते हैं कि उक्त स्तम्भ-2 में उल्लिखित खण्डों में वे क्षेत्र होंगे जो नीचे अनुसूची के स्तम्भ-3 में प्रत्येक खण्ड के समक्ष उल्लिखित न्याय पंचायत सर्किलों में सम्मिलित हैं।

अनुसूची

जिला का नाम	**खण्ड का नाम**	**न्याय पंचायत सर्किल, जिनसे खण्ड के क्षेत्र का गठन होगा**
1	**2**	**3**
प्रतापगढ़	लालगंज	शीतलमऊ, अमावॉ, सलेमभदारी, मेढवा, कौशिल्यापुर, रायपुरतियाई, भदारीकला, बेलहा, गारापुर
	सांगीपुर	सांगीपुर, सुजाखर, भैंसना, असांव, बसुआपुर, दलापट्टी, भोजपुर, समसपुर की ग्राम पंचायत-आमीशंकरपुर, दर्रा तथा रेहुआलालगंज की ग्राम पंचायत-मुरैनी
	मंगापुर उदयपुर	अठेहा, उमरार, राजापुर, राहाटीकर, समसपुर की ग्राम पंचायत-नरवल, चाहिन, वेवली एवं रेहुआलालगंज की ग्राम पंचायत-खानीपुर,रेहुआलालगंज, ननौती, मंगापुर, राकी एवं परानीपुर

आज्ञा से,

दीपक त्रिवेदी

प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in